भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या – 2231

सोमवार, 5 अगस्त, 2024/14 श्रावण, 1946 (शक)

बिहार को विशेष राज्य का दर्जा

2231. श्री गिरिधारी यादव

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बिहार देश के सर्वाधिक पिछड़े और गरीब राज्यों में से एक है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या खनिज संपदा से भरपूर झारखंड को वर्ष 2000 में बिहार से अलग कर दिया गया, जिसके कारण बिहार की गरीबी और बढ़ गई, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या बिहार को विशेष दर्जा दिए बिना बिहार विकसित राज्यों के समकक्ष नहीं पहुंच पाएगा;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; तथा सरकार का बिहार को कब तक विशेष दर्जा देने का विचार है; और
(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ड.): विगत में राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) द्वारा कुछ राज्यों को योजना सहायता के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया था, जिनकी कई ऐसी विशेषताएं थीं, जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता थी। इन विशेषताओं में (i) पहाड़ी और कठिन भू-भाग (ii) कम जनसंख्या घनत्व और/या जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा, (iii) पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर रणनीतिक स्थान, (iv) आर्थिक और अवसंरचनात्मक पिछड़ापन और (v) राज्य वित्त की अलाभकारी प्रकृति शामिल थी। यह निर्णय ऊपर सूचीबद्ध सभी कारकों और राज्य की विशिष्ट स्थिति के एकीकृत विचार के आधार पर लिया गया था।

14वें वित्त आयोग (14वें एफसी) ने अपनी रिपोर्ट में विशेष और सामान्य श्रेणी के राज्यों के बीच कोई अंतर नहीं किया था। इसके अलावा, 15वें वित्त आयोग (15वें एफसी) ने अधिनिर्णय अवधि 2021-26 से संबंधित अपनी अंतिम रिपोर्ट में भी राज्यों को विशेष श्रेणी के दर्जे के संबंध में भी कोई अनुशंसा नहीं की है।

बिहार राज्य की विकासात्मक जरूरतों पर विचार करते हुए दिनांक 18.08.2015 को बिहार के लिए 1,25,003 करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा की गई थी जिसमें सड़क और राजमार्ग, ग्रामीण विकास, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, नागर विमानन, उच्चतर शिक्षा, कौशल विकास, कृषि, रेल, विद्युत, दूरसंचार, पर्यटन एवं स्वास्थ्य शामिल है। इस पैकेज के हिस्से के रूप में राज्य के 21 पिछड़े जिलों में नए पूंजीगत निवेश पर अतिरिक्त निवेश भत्ते और और अतिरिक्त उच्च मूल्यह्रास के रूप में आयकर पर राहत को भी अधिसूचित किया गया था।
